ई0 पत्रावली संख्या–73886

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार, I.A.S,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक, फरवरी, 2025

विषयः– राज्य सैक्टर नलकूप, नहर एवं लिफ्ट योजना (लघु निर्माण मद) हेतु धनराशि आंवटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–73/प्र0अ0/सिं0वि0/बी0–1(मांग), दिनाक 03.02.2025 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नलकूप, नहर एवं लिफ्ट योजना लघु निर्माण मद के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) उक्त मद से सम्बन्धित समस्त योजनाओं की स्वीकृति अपने स्तर से व्यवहारिकता एवं आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाय।

(ii) योजनाओं की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों के आलोक में ही सुनिश्चित की जाय।

(iii) योजनाओं को विधानसभा वार चिन्हित करते हुए यथोचित प्रतिनिधित्व देते हुए नियमानुसार धनावंटन किया जाय।

(iv) शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(v) योजना की गुणवत्ता एवं मितव्ययता का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाय।

(vi) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जायेगा, धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जहां कही आवश्यक हो यथावश्यकता सक्षम अधिकारी/शासन की स्वीकृति व्यय से पूर्व प्राप्त कर ली जाय।

(vii) योजनाओं की स्वीकृति में पुर्नावृत्ति/दोहराव न होने की पुष्टि भी अवश्य कर ली जाये। यदि किसी योजना की स्वीकृति आपदा विभाग से हो जाती है तो स्वीकृत योजना की धनराशि नियमानुसार शासन को समर्पित की जाय। इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग का होगा।

(viii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा कराये जा रहे कार्यों की Geo Tagging करायी जाय।

(ix) किसी भी दशा में योजना की लागत को पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

(x) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xi) धनराशि व्यय करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित न हो। अन्य योजना/विभाग से स्वीकृत/वित्त पोषित होने की दशा में इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग न किया जाय।

(xii) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायें।

(xiii) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(xiv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जाये। उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में उक्त योजनाओं हेतु कोई धनराशि तो अवमुक्त नहीं की गयी है, अर्थात् दोहराव की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि ऐसी कोई अनियमितता पायी जाती है तो इस हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xvi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(xvii) शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xviii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(xix) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के क्रियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि शासन को समर्पित कर दी जाय अर्थात् Parking of Fund नहीं किया जायेगा।

(xx) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर निर्गत किये गये आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(xxi) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024, दिनांक 22 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2701–80–001–02–00–52 के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–Allotment ID

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 20-02-2025 12:57:14

भवदीय,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

ई0 पत्रावली संख्या–73886/2024, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

Signed by
Jai Lal Sharma
Date: 21-02-2025 14:02:38

आज्ञा से,

(जे0एल0शर्मा)
संयुक्त सचिव।